(वाद सं0– 6465/4/23/2021)

12.01.2023

प्रसंगाधीन मामला परिवादी प्रवीण कुमार व उसकी पत्नी, कल्पना कुमारी, के नाम से **सहारा इण्डिया** में दिनांक–26.12.2017 को निवेश किये गये कुल 2,91,350/– (दो लाख एकानवे हजार तीन सौ पचास रूपये) की राशि की परिपक्वता राशि का अबतक सहारा इण्डिया द्वारा भुगतान नहीं किये जाने से संबंधित है।

उपरोक्त पर **जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर** से प्रतिवेदन की मांग की गई। **जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर** के प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नित वरीय **उप समाहर्त्ता, (बैकिंग),** मुजफ्फरपुर व सहारा इण्डिया कार्यालय के अधिकृत पदाधिकारी के प्रतिवेदनानुसार, परिवादी प्रवीण कुमार व उनकी पत्नी, कल्पना कुमारी, के नाम से कई खाता संचालित है। उनमें से अधिकांश खाते की परिपक्वता अवधि पूर्ण नहीं हुई है। जिन खातों की परिपक्वता अवधि पूर्ण हो गई है, उन खातों के भुगतान की कार्यवाही की गई है, जिसमें कुछ समय लगने की संभावना है तथा जमाकर्त्ताओं को विलम्बित अवधि का ब्याज भी देय होता है। जमाकर्त्ताओं को भुगतान हेतु संबंधित शाखा कार्यालय से सम्पर्क करना चाहिए ताकि इस संबंध में कार्रवाई सुनिश्चित करायी जा सकें।

उपरोक्त पर परिवादी से प्रत्युत्तर की मांग की गई। अपने प्रत्युत्तर में परिवादी की पत्नी कल्पना कुमारी, का कथन है कि वह जब भी भुगतान हेतु सहारा इण्डिया के मुशहरी शाखा में जाती है तो उसको अपमानित किया जाता है।

परिवादी को अपने मामले के समर्थन में उपस्थित होने हेतु दो–दो बार इस निर्देश के साथ नोटिस निर्गत किया गया कि अगर वह राज्य आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं होंगे तो उनके

मामले को संचिकास्त कर दिया जायेगा, लेकिन इसके बावजूद भी परिवादी राज्य आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हुए।

प्रसंगाधीन मामला बैकिंग से संबंधित है, जो भारत के संविधान के सातवीं अनुसूची के संघ सूची का विषय है।

अतः प्रसंगाधीन मामले को राज्य मानवाधिकार आयोग के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नहीं पाकर राज्य आयोग के स्तर से इसे संचिकास्त किया जाता है।

कार्यालय, आज पारित आदेश के साथ **जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के प्रतिवेदन (पृष्ठ 30–28/प0)** की प्रति संलग्न कर तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक